



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24082022-238318
CG-DL-W-24082022-238318

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अगस्त 14—अगस्त 20, 2022, शनिवार/श्रावण 23—श्रावण 29, 1944
No. 33] NEW DELHI, AUGUST 14—AUGUST 20, 2022, SATURDAY/SRAVANA 23—SRAVANA 29, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022

का.आ. 757.—जबकि केन्द्र सरकार का मत है कि श्री एम.एम. सक्सेना, सहायक आयुक्त (सेवानिवृत्त) से संबन्धित विभागीय जांच के प्रयोजनार्थ श्री राज कुमार मित्तल, श्री संजय मित्तल और श्री मोहित मोहन अग्रवाल को गवाहों के तौर पर समन करना आवश्यक है।

इसलिए अब, विभागीय जांच (गवाहों की उपस्थिति और दस्तावेजों की प्रस्तुती का प्रवर्तन) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा सुश्री एच.एम. अनल, आयुक्त (आईआरएस, कार्मिक कोड: 922) को श्री राज कुमार मित्तल, श्री संजय मित्तल और श्री मोहित मोहन अग्रवाल नामक गवाहों के संबंध में अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. पत्रा.14011/36/2017-प्रशा.V]

धर्मवीर शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

New Delhi, the 11th August, 2022

S.O. 757.—WHEREAS the Central Government is of the opinion that for the purpose of departmental inquiry relating to Shri M. M. Saxena, Asst. Commissioner (Retired) it is necessary to summon as witnesses namely Shri RajKumar Mittal, Sh. Sanjay Mittal and Sh. Mohit Mohan Agarwal.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), the Central Government hereby authorises Ms. H.M. Anal, Commissioner (IRS, Emp code:922) as the inquiring authority to exercise the power specified in the section 5 of the Act in relation to witnesses namely Shri Raj Kumar Mittal, Sh. Sanjay Mittal and Sh. Mohit Mohan Agarwal.

[F. No. C.14011/36/2017-Ad.V]

DHARMVIR SHARMA, Director, Ad.V

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022

का.आ. 758.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) खंड (ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सतीश काशीनाथ मराठे (जन्म तिथि: 1.2.1950) को इस अधिसूचना की तारीख से अगले चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/6/2022-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 11th August, 2022

S.O. 758.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (4) of Section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-nominates Shri Satish Kashinath Marathe (DOB: 1.2.1950) as part-time, non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a further period of four years, from the date of this notification or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022

का.आ. 759.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) खंड (ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति (जन्म तिथि: 4.3.1949) को इस अधिसूचना की तारीख से अगले चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/6/2022-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th August, 2022

S.O. 759.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 8 read with sub-section (4) of Section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-nominates Shri Swaminathan Gurumurthy (DOB: 4.3.1949) as part-time, non-official Director on the Central Board of Reserve Bank of India for a further period of four years, from the date of this notification or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022

का.आ. 760.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, प्रो. सचिन चतुर्वेदी (जन्म तिथि: 26.10.1967) को दिनांक 18.9.2022 को उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अगले चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वी स्थानीय बोर्ड में सदस्य के पद पर पुनः नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/6/2022-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th August, 2022

S.O. 760.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and sub-section (3) of Section 9 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-appoints Prof. Sachin Chaturvedi (DoB: 26.10.1967) as Member on the Eastern Local Board of the Reserve Bank of India, for a further period of four years, after completion of his present tenure on 18.9.2022, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022

का.आ. 761.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पूर्वी स्थानीय बोर्ड से प्रो. सचिन चतुर्वेदी (जन्म तिथि: 26.10.1967) को दिनांक 18.9.2022 को उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अगले चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/6/2022-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th August, 2022

S.O. 761.—In exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-nominates Prof. Sachin Chaturvedi (DoB: 26.10.1967) from Eastern Local Board as part-time, non-official Director on the Central Board of Directors of Reserve Bank of India, for a further period of four years, after completion of his present tenure on 18.9.2022, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022

का.आ. 762.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री रेवती अय्यर (जन्म तिथि: 28.5.1954) को दिनांक 18.9.2022 को उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अगले चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के उत्तरी स्थानीय बोर्ड में सदस्य के पद पर पुनः नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/6/2022-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th August, 2022

S.O. 762.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and sub-section (3) of Section 9 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-appoints Ms Revathy Iyer (DoB: 28.5.1954) as Member on the Northern Local Board of the Reserve Bank of India, for a further period of four years, after completion of her present tenure on 18.9.2022, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2022

का.आ. 763.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उत्तरी स्थानीय बोर्ड से सुश्री रेवती अय्यर (जन्म तिथि: 28.5.1954) को दिनांक 18.9.2022 को उनके वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अगले चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 6/6/2022-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th August, 2022

S.O. 763.—In exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby re-nominates Ms Revathy Iyer (DoB: 28.5.1954) from Northern Local Board as part-time, non-official Director on the Central Board of Directors of Reserve Bank of India, for a further period of four years, after completion of her present tenure on 18.9.2022, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

का.आ. 764.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन, निम्नलिखित कार्यालय जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कार्यालय का पता
1	कार्यालय आयुक्त (अपील), रायपुर	कार्यालय आयुक्त (अपील), केंद्रीय माल एवं सेवाकर तथा उत्पाद शुल्क, जीएसटी भवन, धमतरी रोड, टिकरापारा, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, रायगड	कार्यालय केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय, रायगड प्लॉट नं.1, सेक्टर-17, खांदेश्वर, नवीन पनवेल, मुंबई
3	सीमाशुल्क आयुक्त (एन.एस.-अपील), रायगड	कार्यालय सीमाशुल्क आयुक्त (एन.एस.-अपील), सीमाशुल्क मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा, उरण, जिला-रायगड (महाराष्ट्र)
4	सीमाशुल्क आयुक्त, रायगड	कार्यालय सीमाशुल्क आयुक्त, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, हिन्दी अनुभाग, न्हावा शेवा, उरण, जिला-रायगड महाराष्ट्र
5	सीमाशुल्क आयुक्त (एन.एस.V), रायगड	कार्यालय सीमाशुल्क आयुक्त (एन.एस.V), सीमाशुल्क मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा, उरण, जिला-रायगड (महाराष्ट्र)
6	सीमाशुल्क आयुक्त (एन.एस.-लेखापरीक्षा), रायगड	कार्यालय सीमाशुल्क आयुक्त (एन.एस.-लेखापरीक्षा), सीमाशुल्क मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा, उरण, जिला-रायगड (महाराष्ट्र)
7	सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	कार्यालय सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, कनकोर कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
8	केंद्रीय माल एवं सेवाकर लेखापरीक्षा, नोएडा	कार्यालय आयुक्त केंद्रीय माल एवं सेवाकर लेखापरीक्षा, नोएडा ए-17, डिस्कवरी टावर सेक्टर-62, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
9	केन्द्रीय जीएसटी, दमण, आयुक्तालय	आयुक्त का कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, दमण आयुक्तालय, जीएसटी भवन, आरसीपी कम्पाउंड, वापी

[फा. सं. ई-11017/3/2017- हिन्दी-2 डीओआर]

नीहारिका सिंह, निदेशक (राजभाषा)

New Delhi, the 12th August, 2022

S.O. 764.—In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies, the following offices under Department of revenue where more than 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

S.No.	Office Name	Office Address
1	Office of the Commissioner (Appeals), Raipur	Office of the Commissioner (Appeals), Central Goods and Services Tax and Excise, GST Bhawan, Dhamtari Road, Tikrapara, Raipur (Chhattisgarh)
2	Central Goods and Services Tax Commissionerate, Raigad	Office of the Central Goods and Services Tax Commissionerate, Raigad Plot No.1, Sector-17, Khandeshwar, New Panvel, Mumbai
3	Commissioner of Customs (NS-Appeals), Raigad	Office of the Commissioner of Customs (NS-Appeals), Customs Mumbai Zone-II, Jawaharlal Nehru Customs Building, Nhava Sheva, Uran, District-Raigad (Maharashtra)

4	Commissioner of Customs, Raigad	Office of the Commissioner of Customs, Jawaharlal Nehru Customs Building, Hindi Anubhag, Nhava Sheva, Uran, District-Raigad
5	Commissioner of Customs (N.S.-V), Raigad	Office of the Commissioner of Customs (N.S.-V), Customs Mumbai Zone-II, Jawaharlal Nehru Customs Building, Nhava Sheva, Uran, District-Raigad (Maharashtra)
6	Commissioner of Customs (NS-Audit), Raigad	Office of the Commissioner of Customs (NS-Audit), Customs Mumbai Zone-II, Jawaharlal Nehru Customs Building, Nhava Sheva, Uran, District-Raigad (Maharashtra)
7	Principal Commissioner of Customs, Greater Noida, Uttar Pradesh	Office of the Principal Commissioner of Customs, Noida Customs Commissionerate, Concor Complex, Greater Noida, Uttar Pradesh
8	Central Goods and Services Tax Audit, Noida	Office of the Commissioner Central Goods and Services Tax Audit, Noida A-17, Discovery Tower Sector-62, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh
9	Central GST Daman, Commissionerate	Office of the Commissioner Central G.S.T., Daman Commissionerate, G.S.T. Bhavan, RCP Compound, Vapi

[F. No. E-11017/3/2017-Hindi-II DOR]

NIHARIKA SINGH, Director (OL)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

का.आ. 765.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय अधिसूचना संख्यांक का. आ. 935, तारीख 31 दिसम्बर, 2021, जो भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 01 जनवरी, 2022 में प्रकाशित की गई थी, के द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 223.80 हेक्टर (लगभग) या 553.022 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वक्षेपण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विहित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 187.96 हेक्टर (लगभग) या 464.45 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में और उक्त भूमि पर सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक सी-1 (ई)/III/जेजेएनआर/0622/987, तारीख 22 जून, 2022 का निरीक्षण कलक्टर, जिला यवतमाल (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता- 700 001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नलिखित उपबंध करते हैं:-

“8. अर्जन की बाबत आपत्तियाँ .- (1) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या

उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अधीन यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्ति रूप से या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में विभिन्न रिपोर्टें आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

अनुसूची

घोंसा एक्सपेंशन डीप खान
वनी नार्थ क्षेत्र
जिला यवतमाल (महाराष्ट्र)

(रेखांक संख्यांक सी-1(ई)/III/जेजेएनआर /0622/987, तारीख 22 जून, 2022)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन				कुल (हेक्टेयर में)	टिप्पणियां
					निजी (हेक्टेयर में)	वन (हेक्टेयर में)	सरकारी (हेक्टेयर में)	पूर्व अधिग्रहित भूमि (सिर्फ सतह के अधिकार) (हेक्टेयर में)		
1	घोन्सा	29	वनी	यवतमाल	51.1	49.83	1.67	1.42	104.02	भाग
2	फुलोरा	29	वनी	यवतमाल	9.19	4.00	2.6	9.15	24.94	भाग
3	बोर्डा	29	वनी	यवतमाल	0	59.00	0	-	59.00	भाग
कुल:					60.29	112.83	4.27	10.57	187.96	

कुल क्षेत्र :- 187.96 हेक्टर (लगभग) या 464.45 एकड़ (लगभग)

नोट : सीधे क्रय के अधीन 10.57 हेक्टेयर भूमि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पूर्व में केवल सतह अधिकार के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। ऐसी भूमि के लिए मुआवजा अथवा पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन लाभ पुनः संदत्त नहीं किए जाने हैं।

(1) ग्राम घोन्सा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:

निजी भूमि गट संख्यांक : 16, 17/1, 17/2, 20/1/ए, 20/1/सी, 20/1/डी, 20/1/बी, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 36, 37/2 और 37/3.

वन भूमि गट संख्यांक : 19, 23, 24 और 25.

सरकारी भूमि गट संख्यांक : 21, सड़क.

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भूमि : 27.

(2) ग्राम फुलोरा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

निजी भूमि गट संख्यांक : 24/1, 24/2, 24/3, 24/4/1, 24/4/2, 24/4/3, 24/4/4, 24/4/5, 24/4/6, 24/4/7, 24/4/8, 24/4/9, 24/4/10, 24/4/11, 24/4/12, 24/4/13, 24/4/14, 24/4/15, 24/4/16, 24/4/17, 24/4/18, 24/4/19, 24/4/20, 24/4/21, 24/4/22, 24/4/23, 24/4/24, 24/4/25, 24/4/26, 24/4/27, 24/4/28, 24/4/29, 24/4/30, 24/4/31, 24/4/32, 24/4/33, 24/4/34, 24/4/35, 24/4/36, 24/4/37, 24/4/38, 24/4/39, 24/4/40, 24/4/41, 24/4/42, 24/4/43, 24/4/44, 24/4/45, 24/4/46, 24/4/47, 24/5/1, 24/5/2, 24/5/3, 24/5/4, 24/5/5, 24/5/6, 24/5/7, 24/5/8, 24/5/9, 24/5/10, 24/5/11, 24/5/12, 24/5/13, 24/5/14, 24/5/15, 24/5/16, 24/5/17, 24/5/18, 24/5/19, 24/5/20, 24/5/21, 24/5/22, 24/5/23, 24/5/24, 24/5/25, 24/5/26, 24/5/27, 24/5/28, 24/5/29, 24/5/30, 24/5/31, 24/5/32, 24/5/33, 24/5/34, 24/5/35, 24/5/36, 24/5/37, 24/5/38, 24/5/39, 24/5/40, 24/5/41, 24/5/42, 24/5/43, 24/5/44, 24/5/45, 24/5/46, 24/5/47, 24/6/1, 24/6/2, 24/6/3, 24/6/4, 24/6/5, 24/6/6, 24/6/7, 24/6/8, 24/6/9, 24/6/10, 24/6/11, 24/6/12, 24/6/13, 24/6/14, 24/6/15, 24/6/16, 24/6/17, 24/6/18, 24/6/19, 24/6/20, 24/6/21, 24/6/22, 24/6/23, 24/6/24, 24/6/25, 24/6/26, 24/6/27, 24/6/28, 24/6/29, 24/6/30, 24/6/31, 24/6/32, 24/6/33, 24/6/34, 24/6/35, 24/6/36, 24/6/37, 24/6/38, 24/6/39, 24/6/40, 24/6/41, 24/6/42, 24/6/43, 24/6/44, 24/6/45, 24/6/46, 24/6/47, 24/6/48, 24/6/49, 24/6/50, 24/6/51, 24/6/52, 24/6/53, 24/6/54, 24/7/1, 24/7/2, 24/7/3, 24/7/4, 24/7/5, 24/7/6, 24/7/7, 24/7/8, 24/7/9, 24/7/10, 24/7/11, 24/7/12, 24/7/13, 24/7/14, 24/7/15, 24/7/16, 24/7/17, 24/7/18, 24/7/19, 24/7/20, 24/7/21, 24/7/22, 24/7/23, 24/7/24, 24/7/25, 24/7/26, 24/7/27, 24/7/28, 24/7/29, 24/7/30, 24/7/31, 24/7/32, 24/7/33, 24/7/34, 24/7/35, 24/7/36, 24/7/37, 24/7/38, 24/7/39, 24/7/40, 24/7/41, 24/7/42, 24/7/43, 24/7/44, 24/7/45, 24/7/46, 24/7/47 और 25/3.

वन भूमि गट संख्यांक : 2 (भाग).

सरकारी भूमि गट संख्यांक : 24/4/48, 24/4/49, 24/5/48, 24/5/49, 24/6/55, 24/6/56, 24/7/48 और 24/7/49, सड़क.

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भूमि : 25/1ए, 25/1बी, 25/1सी, 25/2 और 25/4.

(3) ग्राम बोर्ड में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

वन भूमि गट संख्यांक : 240 (भाग).

सीमा वर्णन :

- क - ख : रेखा बनी से घोन्सा सड़क पर स्थित बिंदु 'क' से आरंभ होकर पूर्व दिशा से होती हुई बिंदु 'ख' पर मिलती है।
- ख - ग - घ : रेखा बिंदु 'ख' से आरंभ होकर उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित बिंदु 'ग' से होती हुई बिंदु 'घ' पर मिलती है।
- घ - ङ : रेखा बिंदु 'घ' से आरंभ होकर उत्तर-पूर्व दिशा से होती हुई बिंदु 'ङ' पर मिलती है।
- ङ - च - छ : रेखा बिंदु 'ङ' से आरंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित बिंदु 'च' से होती हुयी वक्राकार पथ लेती हुयी बिंदु 'छ' पर मिलती है।
- छ - ज : रेखा बिंदु 'छ' से आरंभ होकर उत्तर -पूर्व दिशा से होती हुई बिंदु 'ज' पर मिलती है।
- ज - झ : रेखा बिंदु 'ज' से आरंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा से होती हुई बोर्ड सड़क को पार करके बिंदु 'झ' पर मिलती है।
- झ - ञ : रेखा बिंदु 'झ' से आरंभ होकर उत्तर-पूर्व दिशा से होती हुई बिंदु 'ञ' पर मिलती है।
- ञ - ट : रेखा बिंदु 'ञ' से आरंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा से होती हुयी बिन्दु 'ट' से मिलती है।
- ट - ठ : रेखा बिन्दु 'ट' से आरंभ होकर उत्तर दिशा से होती हुई बिन्दु 'ठ' से मिलती है।
- ठ - ड : रेखा बिंदु 'ठ' से आरंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा से होती हुई बिंदु 'ड' पर मिलती है।
- ड - ढ : रेखा बिंदु 'ड' से आरंभ होकर पश्चिम दिशा से होती हुई बिंदु 'ढ' पर मिलती है।
- ढ - ण : रेखा बिंदु 'ढ' से आरंभ होकर उत्तर- पश्चिम दिशा से होती हुई बिंदु 'ण' पर मिलती है।
- ण - त : रेखा बिंदु 'ण' से आरंभ होकर दक्षिण - पश्चिम दिशा से होती हुई, बोर्ड सड़क को पार करते हुए, बिंदु 'त' पर मिलती है।
- त - थ : रेखा बिंदु 'त' से आरंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा से होती हुई ग्राम फुलोरा और बोर्ड की सीमा को पार करते हुए बिंदु 'थ' पर मिलती है।
- थ - द - ध : रेखा बिंदु 'थ' से आरंभ होकर वक्राकार पथ से बिंदु 'द' से होती हुयी दक्षिण- पश्चिम दिशा से होती हुई बिंदु 'ध' पर मिलती है।
- ध - न : रेखा बिंदु 'ध' से आरंभ होकर दक्षिण दिशा से होती हुई बिंदु 'न' पर मिलती है।
- न - प : रेखा बिंदु 'न' से आरंभ होकर पूर्व दिशा से होती हुई बिंदु 'प' पर मिलती है।
- प - फ : रेखा बिंदु 'प' से आरंभ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा से होती हुई बिंदु 'फ' पर मिलती है।
- फ - ब - भ - म : रेखा बिंदु 'फ' से आरंभ होकर वक्राकार पथ से होते हुए बिंदु 'ब' और बिन्दु 'भ' को चीरते हुए दक्षिण दिशा में स्थित बिंदु 'म' पर मिलती है।
- म - य - क : रेखा बिंदु 'म' से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में स्थित बिंदु 'य' को वक्राकार पथ में चीरते हुए बिंदु 'क' पर मिलती है।
- क - ख : रेखा बिंदु 'क' से आरंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित बिंदु 'ख' पर मिलती है।

- ख' – ग' : रेखा बिंदु ख' से आरंभ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित बिंदु ग' पर मिलती है।
- ग' – घ' : रेखा बिंदु ग' से आरंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित बिंदु घ' पर मिलती है।
- घ' – क' : रेखा बिंदु घ' से आरंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित बिंदु क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/15/2021-एलएण्डआईआर]

राम शिरोमणि सरोज, निदेशक

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 16th August, 2022

S.O. 765.—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 935, dated the 31st December, 2021, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st January, 2022, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in land measuring 223.80 hectares (approximately) or 553.022 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule annexed to the that notification;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 187.96 hectares (approximately) or 464.45 acres (approximately) and all rights in or over the said lands described in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number C-I(E)/III/JJNR/0622/987, dated the 22nd June, 2022 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, District Yavatmal (Maharashtra) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 or at the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur - 440 001 (Maharashtra).

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:-

“8. Objections to acquisition.- (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation. - It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 2519, dated the 27th May, 1983, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE**Ghonsa Expansion Deep Opencast Mine****Wani North Area****District Yavatmal (Maharashtra)**[Plan bearing number C-I(E)/III/JJNR/0622/987, dated the 22nd June, 2022]**All Rights :**

Sl. No.	Name of village	Patwari circle number	Tahsil	District	Description of land				Total (in hectare)	Remarks
					Tenancy (in hectare)	Forest (in hectare)	Government (in hectare)	Land already acquired (having only surface rights) (in hectare)		
1.	Ghonsa	29	Wani	Yavatmal	51.1	49.83	1.67	1.42	104.02	Part
2.	Fulora	29	Wani	Yavatmal	9.19	4.00	2.6	9.15	24.94	Part
3.	Borda	29	Wani	Yavatmal	0	59.00	0	-	59.00	Part
Total :					60.29	112.83	4.27	10.57	187.96	

Total area : 187.96 hectares (approximately) or 464.45 acres (approximately).

Note: 10.57 hectares land is already acquired for surface rights only by the Western Coalfields Limited under direct purchase. No, further land compensation or rehabilitation and resettlement be paid for such land.**(1) Plot numbers to be acquired in village Ghonsa :**

Tenancy Land Gut numbers : 16, 17/1, 17/2, 20/1/A, 20/1/C, 20/1/D, 20/1/B, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 32/9, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 36, 37/2 and 37/3.

Forest land gut numbers : 19, 23, 24 and 25.

Government land gut numbers : 21, Road.

Western Coalfields Limited land: 27.

(2) Plot numbers to be acquired in village Fulora :

Tenancy land gut numbers : 24/1, 24/2, 24/3, 24/4/1, 24/4/2, 24/4/3, 24/4/4, 24/4/5, 24/4/6, 24/4/7, 24/4/8, 24/4/9, 24/4/10, 24/4/11, 24/4/12, 24/4/13, 24/4/14, 24/4/15, 24/4/16, 24/4/17, 24/4/18, 24/4/19, 24/4/20, 24/4/21, 24/4/22, 24/4/23, 24/4/24, 24/4/25, 24/4/26, 24/4/27, 24/4/28, 24/4/29, 24/4/30, 24/4/31, 24/4/32, 24/4/33, 24/4/34, 24/4/35, 24/4/36, 24/4/37, 24/4/38, 24/4/39, 24/4/40, 24/4/41, 24/4/42, 24/4/43, 24/4/44, 24/4/45, 24/4/46, 24/4/47, 24/5/1, 24/5/2, 24/5/3, 24/5/4, 24/5/5, 24/5/6, 24/5/7, 24/5/8, 24/5/9, 24/5/10, 24/5/11, 24/5/12, 24/5/13, 24/5/14, 24/5/15, 24/5/16, 24/5/17, 24/5/18, 24/5/19, 24/5/20, 24/5/21, 24/5/22, 24/5/23, 24/5/24, 24/5/25, 24/5/26, 24/5/27, 24/5/28, 24/5/29, 24/5/30, 24/5/31, 24/5/32, 24/5/33, 24/5/34, 24/5/35, 24/5/36, 24/5/37, 24/5/38, 24/5/39, 24/5/40, 24/5/41, 24/5/42, 24/5/43, 24/5/44, 24/5/45, 24/5/46, 24/5/47, 24/6/1, 24/6/2, 24/6/3, 24/6/4, 24/6/5, 24/6/6, 24/6/7, 24/6/8, 24/6/9, 24/6/10, 24/6/11, 24/6/12, 24/6/13, 24/6/14, 24/6/15, 24/6/16, 24/6/17, 24/6/18, 24/6/19, 24/6/20, 24/6/21, 24/6/22, 24/6/23, 24/6/24, 24/6/25, 24/6/26, 24/6/27, 24/6/28, 24/6/29, 24/6/30, 24/6/31, 24/6/32, 24/6/33, 24/6/34, 24/6/35, 24/6/36, 24/6/37, 24/6/38, 24/6/39, 24/6/40, 24/6/41, 24/6/42, 24/6/43, 24/6/44, 24/6/45, 24/6/46, 24/6/47, 24/6/48, 24/6/49, 24/6/50, 24/6/51, 24/6/52, 24/6/53, 24/6/54, 24/7/1, 24/7/2, 24/7/3, 24/7/4, 24/7/5, 24/7/6, 24/7/7, 24/7/8, 24/7/9, 24/7/10, 24/7/11, 24/7/12, 24/7/13, 24/7/14, 24/7/15, 24/7/16, 24/7/17, 24/7/18, 24/7/19, 24/7/20, 24/7/21, 24/7/22, 24/7/23, 24/7/24, 24/7/25, 24/7/26, 24/7/27, 24/7/28, 24/7/29, 24/7/30, 24/7/31, 24/7/32, 24/7/33, 24/7/34, 24/7/35, 24/7/36, 24/7/37, 24/7/38, 24/7/39, 24/7/40, 24/7/41, 24/7/42, 24/7/43, 24/7/44, 24/7/45, 24/7/46, 24/7/47 and 25/3.

Forest land gut numbers: 2 (Part).

Government land gut numbers: 24/4/48, 24/4/49, 24/5/48, 24/5/49, 24/6/55, 24/6/56, 24/7/48 and 24/7/49, Road.

Western Coalfields Limited land: 25/1A, 25/1B, 25/1C, 25/2 and 25/4.

(3) Plot numbers to be acquired in village Borda :

Forest land gut number: 240 (Part).

Boundary description:

- A – B : Line starts from point 'A' on the road of Wani to Ghonsa passes in east direction and meets at point 'B'.
- B – C -D : Line starts from point 'B' heads in north east direction and meets at point 'D' taking a zig-zag turn through point 'C'.
- D – E: Line starts from point 'D' and meets at point 'E' (passing in north-east direction).
- E– F -G: Line starts from point 'E' and heads in north east direction and meets at point 'G' after passing through point 'F' in curvature path.
- G– H: Line starts from point 'G' and passes in north- east direction and meets at Point 'H'.
- H-I : Line starts from point 'H' and passes along north - west direction, crosses Borda road and meets at point 'I' .
- I-J : Line starts at point 'I' and passes in the north-east direction and meets at point 'J'.
- J-K: Line starts from point 'J' and passes in north - west direction and meets at point 'K'.
- K-L: Line starts from point 'K' passes in north direction and meets at point 'L'.
- L - M : Line starts from point 'L' passes in north-east direction and meets at point 'M'.
- M - N : Line starts from point 'M' passes in west direction and meets at point 'N' .
- N - O : Line starts from point 'N' passes along north –west direction and meet at point 'O'.
- O - P : Line starts from Point 'O' passes in South - West direction, crosses Borda road and meets at point 'P'.
- P – Q : Line starts from point 'P' passes in north-west direction through village boundary of Borda and Fulora village and meets at point 'Q'.
- Q- R - S : Line starts from point 'Q' and passes in curvature path through point 'R' and then heads south west direction and meet at point 'S'.
- S – T : Line starts from point 'S' and passes in south direction and meets at point 'T'.
- T – U : Line starts from point 'T' and passes in east direction and meets at point 'U'.
- U – V : Line starts from point 'U' and passes in south-west direction and meets at point 'V'.
- V – W- X- Y: Line starts from point 'V' and passes in southward direction and meets at point 'Y' after passing through point 'W' and 'X' in slight curvature form.
- Y – Z – A' : Line starts at point 'Y' passes in west direction and meets at point A' after passing trough point 'Z' in slight curvature path.
- A'-B' : Line starts at point A' and passes in south-east direction and meets at point B' .
- B'-C' : Line starts at point B' and passes in south-west direction and meets at point C'.
- C'-D' : Line starts at point C' and passes in south-east direction and meets at point D'.
- D'- A' : Line starts at point D' and passes in south-east direction and meets at point A'.

[F. No. 43015/15/2021-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Director

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

का.आ. 766.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 20 जून, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 2814(अ), तारीख 20 जून, 2022 के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है, कि इस प्रकार निहित भूमि 227.16 हेक्टर (लगभग) या 561.31 एकड़ (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 20 जून, 2022 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :-

- (1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, व्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत किए गए संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी;
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा जिसमें शर्त (1) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और किसी ऐसे अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपीलों आदि जैसी सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;
- (4) सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त भूमि और उसके ऊपर के निहित अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ; और
- (5) उक्त कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

[फा. सं. 43015/03/2021- एलएण्डआईआर]

राम शिरोमणि सरोज, निदेशक

New Delhi, the 18th August, 2022

S.O. 766.—Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 2814 (E), dated the 20th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 2022, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all

rights in or over the lands described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, District Nagpur, Maharashtra (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said lands measuring 227.16 hectares (approximately) or 561.31 acres (approximately) with all rights in or over the said lands so vested, shall with effect from 20th June, 2022 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (1) The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
- (2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government company;
- (3) The Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested;
- (4) The Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said lands so vested, to any other persons without the prior approval of the Central Government ; and
- (5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/03/2021-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Director

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

का.आ. 767.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधतंत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण—सह—श्रम न्यायालय, जयपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 39/2019) को प्रकाशित करती है।

[सं. एल-12011/23/2019-आईआर-(बी-II)]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 8th July 2022

S.O. 767.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 39/2019) of the *Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court*, Jaipur shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Bank of Baroda and their workmen.

[No. 12011/23/2019 -IR(B-II)]

RAJENDER SINGH, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जयपुर

राधा मोहन चतुर्वेदी, पीठासीन अधिकारी

सी.जी.आई.टी. प्रकरण सं. 39/2019

Reference No. L-12011/23/2019-IR (B-II)

Dated: 17.07.2019

महासचिव, बैंक आफ बड़ौदा कर्मचारी यूनियन, राजस्थान स्टेट,
C/o बैंक ऑफ बड़ौदा चौथी मंजिल,
आनन्द भवन S.C. रोड़ जयपुर (राज.)— 302001

...प्रार्थी

बनाम

1. महाप्रबंधक एवं ऑचलिक प्रमुख, बैंक ऑफ बड़ौदा,
राजस्थान जोन-13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा,
टोंक रोड़ जयपुर (राजस्थान)

...अप्रार्थीगण/विपक्षी

उपस्थित:-

प्रार्थी की तरफ से : कोई उपस्थित नहीं।

अप्रार्थी की तरफ से : कोई उपस्थित नहीं।

: अधिनिर्णय :

दिनांक : 06.05.2022

1. श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.07.2019 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) (डी) व 2। के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्नांकित औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयन हेतु इस अधिकरण को संदर्भित किया गया :-

“Whether the claim of Bank of Baroda Staff Karamchhari Union, Rajasthan for payment of remuneration to award staff without discrimination in administrative offices of Jaipur Regional Office/Zonal Office, Bank of Baroda for the period of demonetization from 16.11.2016 to 31.12.2016 is justified? If yes, what relief the workmen are entitled to? ”

2. श्रम मंत्रालय द्वारा यह विवाद दिनांक 17.07.2019 को पंजीकृत डाक द्वारा इस अधिकरण के साथ साथ विवाद के पक्षकारों यथा प्रार्थी संगठन व विपक्षीगण को भी प्रेषित किया गया था। यह विवाद दिनांक 29.07.2019 को इस अधिकरण में प्राप्त हुआ— तथा पक्षकारों की उपसंज्ञाति व अभिवचनों की प्रतीक्षा में अब तक लंबित रहा है। आज दिनांक 06.05.2022 तक भी इस संदर्भित विवाद के अग्रसरण हेतु प्रार्थी ने अपने दावे का अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया है। श्रम मंत्रालय द्वारा संदर्भित विवाद के संबंध में विवाद प्रस्तुत करने वाले पक्षकार (प्रार्थी) को यह निर्देश दिया गया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में अपने दावे का अभिकथन इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे। चूंकि प्रार्थी को यह आदेश पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया है, यह उपधारित किया जाना नितांत न्यायोचित है कि— जिस प्रकार इस अधिकरण को संदर्भित आदेश 29.07.2019 को प्राप्त हो चुका है— प्रार्थी को भी यह आदेश प्राप्त हो चुका होगा।

3. इस तथ्यात्मक परिदृश्य में इस अधिकरण का यह सुविचारित अधिमत है कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य संदर्भित विवाद के अग्रसरण हेतु प्रार्थी-पक्ष अनिच्छुक व उदासीन है। इसलिए दावे के अभिकथन के अभाव में प्रार्थी संदर्भित विवाद में कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

4. संदर्भित विवाद का निस्तारण इसी प्रकार किया जाता है।

5. अधिनिर्णय की प्रतिलिपि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 (1) के अनुसरण में प्रकाषनार्थ प्रेषित की जावें।

राधा मोहन चतुर्वेदी, पीठासीन अधिकारी